



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वयत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17 इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली - 110002

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An autonomous Organization Under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17 Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2015

दिनांक: 28 नवंबर, 2015

परिपत्र संख्या शैक्षणिक: 75/2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

संविधान दिवस का आयोजन

26 नवम्बर 2015

भारत संविधान में निहित शर्तों द्वारा शासित होता है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकार किया गया था, और 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। विद्यालय 26 नवम्बर, 2015 को संविधान दिवस मनाकर अपने प्रजातंत्र का सम्मान करेंगे।

दिवस के लिए प्रतियोगिताएं

1. सुबह की सभा के दौरान

- विद्यालय प्रमुख संविधान दिवस मनाने की सार्थकता पर संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं
- विद्यालय प्रमुख संविधान के प्राक्कथन का वाचन करते हुए शपथ लेने में विद्यालय का नेतृत्व करेंगे।

भारतीय संविधान का प्राक्कथन, जनता की इच्छाओं और आशाओं को दर्ज करता है और संविधान की मूल आत्मा को दर्शाता है। विद्यालय द्वारा इस महत्वपूर्ण अवसर पर शपथ लेकर, विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करता है, और उनके हृदय तथा मन में एक महान राष्ट्र के सदस्य होने का भाव भरता है।

2. कक्षा VI से XII के सभी विद्यार्थियों के लिए भारत के संविधान के प्राक्कथन में निहित संदेश को उद्धरित करते हुए एक पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता।

क. कक्षा शिक्षक, तीन सर्वश्रेष्ठ का चयन कर, कला शिक्षक को प्रतियोगिता हेतु भेज सकते हैं, जो कक्षा VI से XII तक प्रत्येक स्तर पर तीन सर्वश्रेष्ठ की घोषणा कर सकता है।

ख. स्कूल प्रमुख आखरी पीरियड के दौरान विशेष सभा में विजेताओं की घोषणा कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को विद्यालय से प्रशंसा प्रमाण पत्र दे सकते हैं। प्रमाण पत्र **संविधान दिवस, 2015** को मनाए जाने के अनुसार तैयार किया गया होगा।

बोर्ड विद्यालय प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन करता है कि दिवस को इस तरह मनाया जाए, कि संविधान 'सजीव दस्तावेज' व वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल ढलने योग्य है।

विद्यालय 200 शब्दों की एक रिपोर्ट फोटो प्रतियों सहित, पी. राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी, को rajeswary.cbse01@gmail.com भेज सकते हैं।

सुगंध शर्मा

सुगंध शर्मा

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

इस निवेदन के साथ कि सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101

- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सेना शिक्षा के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (नियर ए पी एस), दिल्ली कैंट-110,010
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. के सभी को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी सहयोगी प्रोफेसर और संयुक्त निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (नवाचार एवं अनुसंधान)

